न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/394/2024
सी एन आर नंबर :— RJBD080010292024

निर्णय दिनांकः—30.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 265/2023 अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**गौरव** पुत्र उमेश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 8 के.पाटन, पुलिस थाना के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री गोविन्द शर्मा अधिवक्ता

अपराध की तिथि	08.09.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.09.2023
आरोप पत्र की तिथि	14.08.2024
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथि	14.08.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	19.08.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	30.03.2026
निर्णय की तिथि	30.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	30.03.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	गौरव	—	—	धारा 341, 323	दण्डादेश	परिवीक्षा अधिनियम की धारा	—

				भा.दं. सं.		4 व 5 का लाभ	

अभियोजन साक्ष्य की सूची :–

(क) अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	धन्नालाल	शिकायतकर्ता
अ.सा.–2	रामलाल	चश्मदीद एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.–3	हरिश	ताईदी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.–4	डॉ. इन्द्रपाल सिंह	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.–5	रामभजन	अनुसंधानकर्ता

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी –	–	

(ग) न्यायालय साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी–	–	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.–1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्र.पी.–2	चाक एफआईआर
3.	प्र.पी.–3	घटनास्थल नक्शा मौका
4.	प्र.पी.–4	पुलिस बयान गवाह हरिश
5.	प्र.पी.–5	चोट प्रतिवेदन धन्नालाल
6.	प्र.पी.–6	अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड

(ख) प्रतिरक्षा :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी–1	पुलिस बयान गवाह रामलाल

(ग) न्यायालय प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	–	–

(घ) आवश्यक वस्तुयें :–

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण

1.	—	—

— :: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2023 को परिवादी धन्नलाल पुत्र किशन द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना के. पाटन, जिला बून्दी में इस आशय की पेश की गई कि वह वार्ड नंबर 6 के. पाटन का रहने वाला है। गणेश की फाटक के पास वाला खेत है। हरिश शर्मा का खेत आदोली में कर रखा है, जो दो साल से करता आ रहा है। उसके खेत का पडौसी गौरव पुत्र उमेश इस बात को लेकर रंजिश रखता है, क्योंकि पहले इस खेत को वह ज्वारा से करता था। दिनांक 08.09.2023 को समय करीब 2 बजे की बात है, वह खेत मे पानी पिलाकर पैदल आ रहा था। वह जैसे ही मदन गुर्जर के मकान के सामने आया, तभी पीछे से स्कूटी लेकर गौरव आया। स्कूटी आगे लगाकर उसे रोक लिया और सीधे ही हाथ में लकड़ी से उसके साथ मारपीट करने लगा। बांस की लकड़ी फटी होने से उसकी अंगुली चीर गई। उसके सिर में खून आ गया। गौरव मारपीट कर स्कूटी लेकर भाग गया। उसने मिलने वालों को बुलाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे, इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—265/2023 अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप सारांश अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 5 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 06 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने

गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। परिवादी का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे परिवादी के चोटें आई थी। अभियुक्त ने परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि प्रकरण में आहत/परिवादी धन्नालाल के दुर्घटना से चोटें आई है और परिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी से मिलीभगत करके अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी व चश्मदीद गवाह के बयानों में भारी विरोधाभास है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं कराये जाने से अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2023 को समय दोपहर 02:00 बजे या या उसके लगभग स्थान मदन गुर्जर के मकान के सामने, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में परिवादी गौरव को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी के साथ स्वेच्छया लकड़ी से मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 5 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू—1 धन्नालाल हस्तगत प्रकरण का परिवादी/आहत है, पी.डब्ल्यू—2 रामलाल चश्मदीद साक्षी एवं नक्शे मौके का गवाह है, पी.डब्ल्यू—3 हरिश ताईदी साक्षी एवं नक्शे मौके का गवाह है, पी.

डब्ल्यू—4 डॉ. इन्द्रपाल सिंह मजरूब की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, पी.डब्ल्यू—5 रामभजन हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—1 धन्नालाल हस्तगत प्रकरण का परिवादी/आहत है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा पेश प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किए हैं कि उसने व रामलाल ने हरिश की जमीन को आदोली पर ले रखा था। बयानों से दो साल पहले की बात है। दिन के दो बजे की बात है। वह उसके खेत पर पानी पिलाकर पैदल पैदल गणेश फाटक की तरफ आ रहा था। रामलाल भी उसके साथ था, तभी अभियुक्त स्कूटी से उसके पीछे से आया और उसे रोककर उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। जिससे उसके दांये हाथ और सिर पर चोटें आई। अभियुक्त मारपीट कर स्कूटी पर बैठकर भाग गया। उसने फोन पर उसके घरवालों को सूचना दी और थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—2 है, जिन पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी अंकित है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

10. जिरह में गवाह कथन करता है कि रिपोर्ट पुलिस वाले रामभजन ने लिखी थी। रामभजन उनकी जाति का है। उसका किसी ने बीच बचाव नहीं किया। रामलाल ने रोका तो अभियुक्त गौरव भाग गया। उसके पुलिस ने कोइ बयान नहीं लिए। रामभजन ने जिम्मेदारी ली थी कि मैं सब काम करवा दूंगा। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि मदनलाल के घर पर पाईप रखने व निकालने के समय गिर जाने से चोटें आई हो। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने जमीन आदोली के समय आदोली में बोई थी जिससे उनकी रंजिश चल रही थी। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि अभियुक्त गौरव ने उसके चोटें नहीं मारी और गिरने से चोटें आई हो।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामलाल, जो कि चश्मदीद व नक्शे मौके का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसने व धन्नालाल ने हरिश की जमीन आदोली पर ले रखी है। बयानों से दो साल पहले दिन के दो बजे करीब की बात है। वह और धन्नालाल पैदल पैदल गणेश फाटक की तरफ जा रहे थे। वे मदन के मकान के पास पहुंचे तो पीछे से अभियुक्त स्कूटी से आया और स्कूटी रोककर स्कूटी से उतरकर धन्नालाल के लकड़ी की मारी जिससे धन्नालाल के हाथ व सिर पर चोटें आई। वह धन्नालाल को मोटरसाइकिल से थाने पर लाया था। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जो विवाद हुआ ज्वारा की जमीन को लेकर हुआ था, फिर खुद कहा कि आदोली की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने बीच बचाव नहीं कराया। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि धन्नालाल पाईप रखने गया हो और नीचे गिरने से चोटें आई हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि धन्नालाल ने झूठी रिपोर्ट इसलिए करवाई हो कि जमीन आदोली पर अभियुक्त गौरव ने उनके जुताने पर आपत्ति जताई हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि इसी रंजिश से बदले की भावना से झूठी रिपोर्ट करवाई हो।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—3 हरिश, जो कि ताईदी व नक्शे मौके का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि बयानों से करीब डेढ साल पहले उसके खेत को धन्नालाल व रामलाल ने आदोली में जोया था। उसके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

14. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि दिनांक 08.09.2023 को उसके सामने अभियुक्त गौरव ने धन्नालाल के साथ लकड़ी से मारपीट की हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी—4 को गलत होना बताया। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया हो। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि नक्शे मौके प्रदर्श पी—3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्त गौरव उसकी जमीन को आदोली में काश्त करता था। उसने अभियुक्त गौरव की आदोली हटाकर दूसरी लोगों को संभलाई, उस समय अभियुक्त गौरव ने उसे कोई धमकी नहीं दी थी।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—4 डॉ. इन्द्रपाल सिंह, जो कि मजरूब की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 06.09.2024 को सीएचसी के.पाटन में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना के.पाटन की तहरीर पर मजरूब धन्नालाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या 1 कटा फटा घाव जो सिर में दांहिनी तरफ था 3 गुणा 1 सेमी। चोट संख्या 2 कटा फटा घाव दांहिने हाथ की मध्य अंगूली 1 गुणा 1/2 गुणा 1/4 सेमी दोनों चोटें सामान्य प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

17. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5 में अंकित चोटें गिरने पड़ने से आना संभव है।

18. गवाह पी.डब्ल्यू—5 रामभजन, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 08.09.2023 को थाना के.पाटन में हेड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन नन्दसिंह एएसआई ने प्रकरण संख्या 265/2023 धारा 341, 323 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है जिस पर ए से बी कायमी मुकदमा, सी से डी नन्दसिंह एएसआई के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 10.09.2023 को घटनास्थल का नक्शा मौका धन्नालाल की निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—3 है सिज पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह धन्नालाल, रामलाल, हरिश के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। धन्नालाल की चोटों का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी—6 है। अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

19. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि प्रदर्श पी—3 में दर्ज पड़ौसी लोगों को उसने जांच में शामिल नहीं किया। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि रोड पर दुर्घटना होने से चोटें आई हो, इस कारण से जांच में पड़ौसियों को शामिल नहीं किया हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि मजरूब के दुर्घटना में लगी हो तथा मजरूब से मिलकर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया हो।

20. प्रकरण में परिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों से, अपने द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट की ताईद करते हुए घटना की दिनांक को अभियुक्त गौरव द्वारा परिवादी के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसके सिर तथा हाथ में चोटें कारित करना दर्शाया है। हालांकि जिरह में परिवादी यह कहता है कि अनुसंधान अधिकारी रामभजन उसकी जाति का है और अनुसंधान अधिकारी रामभजन ने प्रकरण में काम करवाने की जिम्मेदारी ली थी, परन्तु गवाह के बयानों से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं आया है कि उसके द्वारा अनुसंधान अधिकारी से मिलीभगत कर अभियुक्त गौरव के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो, अपितु गवाह अपने बयानों में अटल रहकर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त गौरव द्वारा उक्त गवाह के साथ उसका रास्ता रोककर मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी, जिसकी ताईद चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामलाल ने अपने बयानों से की है। हालांकि चश्मदीद गवाह रामलाल के बयानों से व स्वयं परिवादी के बयानों से न्यायालय के समक्ष यह जाहिर आया है कि अभियुक्त गौरव तथा परिवादी धन्नालाल के मध्य जमीन के मालिक हरिश शर्मा की जमीन को आदोली पर परिवादी को दे दिए जाने के कारण उभय पक्ष के मध्य रंजिश रही थी, परन्तु इस रंजिश के कारण परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया हो यह गवाहान

की जिरह में प्रकट नहीं आता है, अपितु उक्त चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामलाल भी अपनी जिरह में भी इस तथ्य पर अटल रहा है कि घटना की दिनांक को अभियुक्त गौरव द्वारा परिवादी धन्नालाल के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाई थी।

21. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामलाल नक्शे मौके का भी गवाह रहा है, जिससे नक्शे मौके प्रदर्श पी—3 के संबंध में कोई जिरह नहीं किए जाने से उक्त गवाह स्पष्ट रूप से नक्शे मौके प्रदर्श पी—3 को भी पुष्ट करता है।

22. हालांकि प्रकरण में पेश गवाह पी.डब्ल्यू—2 हरिश शर्मा स्वयं के समक्ष किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से इंकार करता है और अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर की गई जिरह में भी गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है, तो भी चूंकि परिवादी द्वारा तथा चश्मदीद गवाह रामलाल द्वारा अपने बयानों से मौके की संपूर्ण घटना तथा अभियुक्त गौरव द्वारा कारित अपराध की पुष्टि की है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन कहानी संदेहप्रद नहीं हो जाती है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू—4 डॉ. इन्द्रपाल सिंह द्वारा परिवादी/आहत धन्नालाल की चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया है और उसके संबंध में तैयार चोट प्रतिवेदन को परिवादी धन्नालाल ने अपनी साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया है कि उक्त चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5 में अंकित चोटें अभियुक्त गौरव द्वारा परिवादी से की गई मारपीट के क्रम में आई थी।

24. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि परिवादी तथा अनुसंधान अधिकारी रामभजन मिले हुए है और उनके द्वारा अभियुक्त को फंसाने की गरज से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो भी इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी को दिए गए सुझाव को अनुसंधान अधिकारी स्पष्ट रूप से इंकार करता है और पत्रावली में अभियुक्त की ओर से दिए गए उक्त तर्क बाबत् कोई साक्ष्य उनके पक्ष में होना प्रकट नहीं आती है और इस कारण से उनके द्वारा दिया गया उक्त तर्क परिवादी कि परिवादी तथा अनुसंधान अधिकारी मिले हुए है स्वीकारे जाने योग्य नहीं है।

25. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किये गये संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2023 को समय दोपहर 02:00 बजे या या उसके लगभग स्थान मदन गुर्जर के मकान के सामने, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में परिवादी गौरव को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी के साथ स्वेच्छया लकड़ी से मारपीट कर उसे

साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

26. परिणामस्वरूप **अभियुक्त गौरव** पुत्र उमेश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 8 के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित पेशी बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

सजा के बिन्दु पर सुना गया

27. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

28. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अभियुक्त की दोषसिद्धि से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। अभियुक्त वर्ष 2024 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। अभियुक्त द्वारा पूर्व दोषसिद्ध नहीं किए जाने या परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथपत्र भी पेश किया गया है। अभियुक्त के चरित्र, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

29. परिणामस्वरूप **अभियुक्त गौरव** पुत्र उमेश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 8 के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं., 1860 में दोषसिद्ध किए जाने पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका छह माह की समयावधि के लिये, जो इस आशय हो कि उक्त अवधि

में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दंड ग्रहण करेगा, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा—5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त 2,000/— रूपए (अक्षरे दो हजार रूपए) जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

30. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करने के आदेश दिए जाते है। उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

31. बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी अभियोजन व्यय राशि 2,000/—रूपए में से 1,000/—रूपए परिवादी/आहत धन्नालाल को बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा किये जावे तथा शेष राशि 1,000/—रूपए को राजकोष में जमा किया जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

32. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **30 मार्च, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी